न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 26/2023

अनवान : —

1. जगतपाल पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थी

बनाम्

1. कुलदीप पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. ववित‍ा पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. मुकेश पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा त0 भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रार्थी
श्री उम्मेद मोठसरा अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 31-7-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जे एस एल के खाता संख्या 72/177 के मु0न0 45 के किला नं0 25/2, मु0न0 51 के किला नं0 16, 25/2, मु0न0 52 के किला नं0 19 ता 22, मु0न0 61 के किला नं0 4 ता 7, 14 की कुल 2.815है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी जगतपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी की उक्त खातेदारी के चिपते ही पश्चिम तरफ चक 5 जे एस एल के खाता संख्या 369/72 की 8.532है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें मु0न0 60 के किला नं0 5 व 6 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण स्वीकृतशुदा रास्ता है। जिसमें होकर प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की चक 5 जे एस एल के मु0न0 60 के किला नं0 1 ता 4 व 5/1 में उत्तरी तरफ पत्थर लाईन से पूर्व से पश्चिम तरफ चलकर प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 5 जेएसल के मु0न0 61 के किला नं0 5 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आपसी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सहमती से राजीनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 को वकील प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मु0न0 60 के किला नं0 5 व 6 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण स्वीकृतशुदा रास्ता है। जिसमें होकर प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की चक 5 जे एस एल के मु0न0 60 के किला नं0 1 ता 4 व 5/1 में उत्तरी तरफ पत्थर लाईन से पूर्व से पश्चिम तरफ चलकर अपनी खातेदारी चक 5 जेएसल के मु0न0 61 के किला नं0 5 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया है जिसके मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य किसी भी प्रकार का लेन–देन व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि का आदान–प्रदान नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस प्रकार से आदान–प्रदान करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की चक 5 जे एस एल के मु0न0 60 के किला नं0 1 ता 4 व 5/1 के उत्तरी तरफ पुर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में सम्पूर्ण लम्बाई एवं 16–1/2 फिट चौड़ाई अर्थात प्रत्येक किला में 0.025–0.025है0 रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 5 जे एस एल के मु0न0 60 के किला नं0 1 ता 4 व 5/1 के उत्तरी तरफ पुर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में सम्पूर्ण लम्बाई एवं 16–1/2 फिट चौड़ाई अर्थात प्रत्येक किला में 0.025–0.025है0 रास्ता स्वीकृत कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 31-1-23 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)